हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 47

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024/8 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

माननीय अध्यक्ष ने ज्यों ही प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा की, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने हाथ उठाकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि I am allowing you in exceptional circumstances, reason being there is no such convention. But still if you have some urgency, which you want to ventilate, I am allowing you but only to that exception.

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके निवास स्थान रामचन्द्रा चौक के पास एक ड्रोन उनके घर के चारों तरफ घूमता रहता है जोकि उनके परिवार और उनकी निजता का हनन है। अतः इसका पता लगा कर इस पर रोक लगनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बात को नोट कर लिया गया है और इस पर गौर किया जाएगा।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1458(स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्नः 1587(स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1826 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

इसी प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उत्तर दिया गया, जिस पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के सदस्यगणों ने(श्री अनिल शर्मा, सदस्य सदन में उपस्थित रहे) नारेबाजी करते हुए 11.25 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया।

तारांकित प्रश्नः 1827 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए।

(11.30 बजे पूर्वाह्न श्री अनिल शर्मा, सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) ने सदन के ध्यान में लाया कि कल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगणों द्वारा किए गए बहिर्गमन को अख़बारों में गलत छापा गया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया जबकि बहिर्गमन भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने किया था। उस वक्त सदन में भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक सुख राम चौधरी जी और डॉ0 जनक राज जी उपस्थित थे। इस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा partial walk-out किया गया था और आज भी श्री अनिल शर्मा जी के अलावा विपक्ष के सभी सदस्यगण सदन से बाहर गए हैं तो यह भी विपक्ष का partial walk-out है। उन्होंने माननीय

अध्यक्ष से अनुरोध किया कि सदन के अंदर वास्तविक घटनाक्रम की ही अखबारों द्वारा रिपोर्टिंग होनी चाहिए।

Directions by the Speaker

"I am taking a note of it. Yesterday as well as today also, it was not a walk out, it was a protest. The newspaper should take a note of it while reporting these walk outs, these are not the walk outs, these are the protest. The protest was reasonable or unreasonable that is not decided. They are protesting for what? So, while reporting everything you must take a note of all these things and the Vidhan Sabha Reporters also take note of it. It was a temporary protest, just for no cause and no reasons."

तारांकित प्रश्न संख्याः 1828 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

(11.40 बजे (पूर्वाह्न) श्री सुख राम चौधरी, श्री बलबीर सिंह वर्मा और डॉ0 जनक राज सदस्य सदन में वापिस आए।)

तारांकित प्रश्न संख्याः 1829 से 1832 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1833 से 1870 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 305 (स्थगित) तथा 815 से 833 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल के आरंभ में ही **नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** द्वारा व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए उठाए गए विषय पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष केवल सनसनी फैलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि बंद कमरों तक ड्रोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम नहीं है। उन्होंने शंका व्यक्त की कि कहीं यह काम ई.डी. या सी.बी.आई. का तो नहीं है?

माननीय मुख्य मंत्री के इस बयान पर आपत्ति दर्ज़ करते हुए नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण विरोधस्वरूप अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष के सदस्यगणों से बार-बार अपनी सीटों पर बैठने का अनुरोध करते हुए निम्न व्यवस्था दी-

> "माननीय मुख्य मंत्री सदन के नेता होते हैं और जब वे अपना बयान दे रहे हों तो सभी माननीय सदस्यों को सुनना पड़ता है। अगर कहीं विपक्ष के सदस्यगणों या विपक्ष के नेता को लगता है कि मुख्य मंत्री जी गलत बयान दे रहे हैं तो उस पर प्रश्न उठाने का आपका अधिकार है और उसके लिए मैं आपको बोलने की अनुमति भी देता हूं। लेकिन अभी आप अध्यक्ष को ही बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूं और आप बीच में बोलने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको कंवेंशन्ज़ तो पता होनी चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम तथा अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश इत्यादि पुस्तकों को पढ़ लिया कीजिए। I am sorry to say that जब मैं खड़ा हो गया हूं तो please there should be a silence in the House. This is our convention says; this is our directions says; this is our Rules says. When the Hon'ble Chief Minister or any Minister is saying or even any Member from the ruling benches start speaking, you start interrupting time and again. I am taking all these things very lightly. Let us be

very serious. Let the Hon'ble Chief Minister speak, if he wants to say anything. You can also say but if you feel there is something against the House, you can always bring the breach of privilege."

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता ने बहुत ही गम्भीर विषय सदन के ध्यान में लाया है जिसका पता लगाया जाएगा कि इनके घर के ऊपर ड्रोन क्यों घूम रहा है तथा यदि कोई केन्द्रीय एजेंसी भी ऐसा कर रही है तो उसकी जानकारी भी केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त की जाएगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को विश्वास दिलाया कि सरकार इस प्रकार से जासूसी करने पर विश्वास नहीं रखती और न ही ऐसा कभी कुछ किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस संदर्भ में जांच करवाएंगे और यदि किसी अधिकारी की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन ने अपने विधान सभा क्षेत्र के एक युवा मेज़र दीक्षांत थापा जोकि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2020 में अपनी ड्यूटि निभाते हुए शहीद हुए थे, के परिवार को उस समय के माननीय मुख्य मंत्री (श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष) द्वारा दिए गए आश्वासनों को आज तक भी पूरा न किए जाने बारे विषय उठाया।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि-

Your point has been taken on record. Since the Government is seized of the matter, the Government may take action as per your viewpoint.

माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विषय उठाया कि लोक सभा चुनाव व विधान सभा के उप-चुनाव के समय अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके प्रति कोई बयान दिया गया था; जोकि अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दिया गया था। अतः अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य की बात का खण्डन करते हुए ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि -

"सदन की कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। इस सदन से बाहर मेरा अधिकार-क्षेत्र अलग है। इस माननीय सदन के अंदर मेरे द्वारा ऐसा न कोई बयान दिया गया है और न ही कभी मैं ऐसा बयान देता हूं। इस सदन के बाहर मेरे अधिकार-क्षेत्र अलग हैं जोकि कानूनन हैं और जो निर्णय हुए वे कानून की दृष्टि से लिए गए हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा उन निर्णयों को अप्रूव किया गया है। इसलिए यह चेयर ऐसा कोई विषय इस माननीय सदन में उठाने की इजाजत नहीं देती है।"

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियम एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 26 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 14वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति का 25वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का 48वाँ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री सतपाल सिंह सत्ती, सदस्य** ने **"हमीरपुर में नीट की कोचिंग ले रहे छात्र की पी0 जी0 (Paying Guest) की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण हुई संदिग्ध मौत"** बारे विषय को माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर भी सदन में उपस्थित होने के बावजूद नहीं उठाया।

(12.20 बजे अपराह्न विपक्ष के सदस्यगण वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

Ruling by the Speaker

"Nothing will go on record. This protest is against the norms and convention of the House, if need be, I will be taking action against all the Members those who have come to the Well of the House, without any rhyme and reasons. I will proceed as per the rules against all the Members those who are in the Well of the House."

(2) **श्री राकेश कालिया, सदस्य** ने **"मायादास सदन से चिन्तपुरनी मन्दिर के लिए बनाये जा रहे रज्जू मार्ग के कारण स्थानीय दुकानदारों के व्यवसाय में नुकसान होने"** की ओर उप-मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उप-मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य** ने **"सैज-देहा चौपाल-नेरवा कुपवी सड़क के चाननी नाला के पास भूस्खलन से क्षतिग्रस्त होने"** बारे विषय को सदन के वैल में उपस्थित होने के बावजूद नहीं उठाया।

(4) **सुश्री अनुराधा राणा, सदस्य ने "भारी बरसात के कारण सिस्सू पुल के क्षतिग्रस्त होने"** की ओर लोक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

नियम-130 के अन्तर्गत दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव **"प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जन-मानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे"** पर आगे जारी चर्चा को सदन में शोरगुल होने के कारण दोपहर के भोजनोपरान्त करने का निर्णय लिया गया।

(शोरगुल के बीच ही 12.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भोजनावकाश से पूर्व माननीय सदस्य, श्री इन्द्रदत्त लखनपाल ने चेयर के प्रति जो टिप्पणी की है, वह बहुत निंदनीय है तथा वह टिप्पणी कहीं रिकॉर्ड पर नहीं है क्योंकि सदन के अंदर यह टिप्पणी की ही नहीं गई है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को एक न्यूट्रल अध्यक्ष के रूप में सदन के सभी सदस्यों को बोलने का मौका देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 27-28 फरवरी, 2024 को सदन के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था वह निंदनीय और दुःखद है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सदन के अदंर ऐसा ड्रामा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि प्रदेश इस समय आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है इसलिए प्रदेश को आर्थिक कठिनाई से बाहर निकलने के लिए सरकार का सहयोग करें। उन्होंने माननीय

सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा चेयर के प्रति की गई टिप्पणी की निन्दा करते हुए इस पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सभी सदस्यगण अपनी सीमाओं में रहें तथा अध्यक्ष महोदय के आसन पर अंगुली उठाने वाला वाक्या दुबारा सदन में न हो।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

"अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए सदन की परंपराओं और नियमों का उल्लेख करते हुए जो प्रस्ताव यहां रखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष के रूप में जो मेरा काम है और अभी तक जो सत्र हुए हैं, उनमें मैंने पूरी तरह न्यूट्रल रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सदन का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि सत्तापक्ष से ज्यादा समय विपक्ष के साथियों को बोलने के लिए मिला है। जो हमारे सदन के नियम-कानून हैं वे कहते हैं कि जब नोटिस आए तो उसके बाद कम-से-कम एक दिन का समय सरकार को जवाब के लिए मिलना चाहिए। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी गम्भीर विषय के ऊपर कल ही चर्चा चाहिए तो उसके लिए भी मैंने माननीय सदस्यों को इजाजत दी है। जो माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी का आज नियम-62 में लिस्टिड इश्यू था उसे कल ही दिया गया और आज ही मैंने इसे लिस्ट कर दिया। मेरा यह प्रयास रहा है कि सभी को अकोमोडेट किया जाए। अब कोई मुझे सीखाना चाहे तो मेरी उम्र अब सीखने की नहीं है। श्री चन्द्र कुमार जी के अलावा आप सभी माननीय सदन के सदस्य मेरे बाद आए हैं। मैं आप सबकी व्यक्तिगत तौर पर भी पहचान करता हूं इसलिए मुझे उन विषयों के ऊपर नहीं जाना है। जो नियम है मैं उसे पढ़ देता हूं। आप सभी मेरा सहयोग करें और इसके लिए मैंने पहले ही दिन आपसे रिक्वैस्ट भी की थी। मैं कभी मौका नहीं दूंगा कि सदन के अंदर मेरा कोई शब्द यहां से वहां चला जाए। मुझे मालूम है कि सदन के अंदर क्या कहना और सदन के बाहर क्या कहना है। मेरा पद संवैधानिक है लेकिन मेरे दायित्व अलग-अलग हैं और अलग-अलग दायित्वों के निर्वहन में जो भी भाषा मैं प्रयोग करता हूं वह सही तथा दुरूस्त है और मैं उस पर अडिग हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि नियम-318 उन माननीय सदस्यों के लिए है कि सदन के अंदर यदि कोई किसी भी प्रकार का बिल्ला लगाकर आए हैं तो वे सदन के

भीतर किसी भी प्रकार बिल्ला नहीं लगा सकते और अगर आपने लगाये हैं तो कृपा करके इनको रिमूव कर दीजिए because this is against the Rules of the House; this is against the convention of the House and this is also against the directions of the Speaker of the House. मैं इससे ज्यादा बात को नहीं बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैंने सदन के अंदर नियमों को भी कई बार माननीय सदस्यों के इंट्रस्ट को प्रायोरिटी देते हुए रिलैक्स किया है। लेकिन अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं नियमों पर ही चलूं तो मैं नियमों पर ही चलूंगा और इसलिए नियमों के तहत जो वांछित कार्रवाई बनेगी, वह मैं करूंगा। वह मेरा अधिकार-क्षेत्र है। जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने निन्दा प्रस्ताव पेश किया है उसके लिए मेरा आभार है।"

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी-

(विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया-

डॉ0 जनक राज, सदस्य को चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु उन्होंने सदन में उपस्थित होने के बावजूद चर्चा में भाग नहीं लिया।

(विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

1. श्री हरदीप सिंह बावा

(विपक्ष के सदस्यगण 02.20 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन कर गए।)

2. श्री मलेन्द्र राजन
3. श्री विवेक शर्मा(विक्कू)
4. कैप्टन रणजीत सिंह

संसदीय कार्यमन्त्री ने सुझाव दिया कि नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है और यह विषय विपक्ष के सदस्यगणों द्वारा चर्चा हेतु लाया गया है। चूंकि अभी विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए सरकार की ओर से निवेदन रहेगा कि इस चर्चा का उत्तर माननीय राजस्व मंत्री सोमवार को दें क्योंकि healthy tradition and healthy democracy के अनुसार माननीय मंत्री जी के उत्तर के समय विपक्ष के सदस्यगण भी सदन में उपस्थित होने चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री के सुझाव पर माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि क्योंकि सभी वक्ताओं ने नियम-130 के तहत प्रस्ताव पर अपने विचार सदन में प्रस्तुत कर दिए हैं, अतः माननीय राजस्व मंत्री जी अपना उत्तर सोमवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को देंगे।

03.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 02 सितम्बर, 2024 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।